भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1098

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पैकेज पर चेतावनी लेबल लगाने की अनिवार्यता

†1098. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उच्च वसा, चीनी और नमक (एचएफएसएस) वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य रूप से फ्रंट-ऑफ-पैकेज (एफओपी) चेतावनी लेबल लगवाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार चीनी, नमक और कुल वसा की मात्रा की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और अस्वस्थकर खाद्य उत्पादों, विशेषकर से बच्चों को लक्षित करने वाले उत्पादों के विज्ञापन और विपणन को विनियमित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की कार्ययोजना के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है, जिसके अनुसार उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों का चयन करते समय सही निर्णय लेने में सहायता के लिए लेबल पर नमक, चीनी और वसा से संबंधित पोषण संबंधी जानकारी देना

अनिवार्य है। पैकेट पर पोषण संबंधी लेबलिंग और रेटिंग प्रणाली लागू करने का मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विद्यालयों में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें विद्यालय परिसर में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ विद्यालय परिसर के अंदर और आसपास संतुलित आहार को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय अधिकारियों की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है। विद्यालय प्राधिकरण "भारतीय विद्यालयों के लिए आहार दिशानिर्देश" के मार्गदर्शन के आधार पर विद्यालय की कैंटीन, मेस या रसोई में सुरक्षित और संतुलित आहार के सेवन को प्रोत्साहित और बढ़ावा देंगे।
